

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अधिकारी- [Redacted]

क्रमांक- 309/2017

पत्र सं. 315/118

---प्रार्थीगण

बनाम
[Redacted] मि. 3/10 [Redacted] मि. राजपुत निवासी खामोर
[Redacted] मि. 5/10 [Redacted] मि. राजपुत निवासी खामोर
[Redacted] मि. 11/10 [Redacted] मि. राजपुत खामोर

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज 0 भूराजस्य अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 7/5/18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज 0 भूराजस्य अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम [Redacted] पटवार हल्का [Redacted] जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 937, 951/2, 951, 952, 953 कुल किता 7 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा स्थित हैं। वाद के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा वाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14-6-17 को पंजीबद्ध किया जाकर ने अवलोकनार्थ से यह वाद सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में गार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी गोन्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया गम [Redacted] पटवार हल्का [Redacted] तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर [Redacted] कुल किता 937, 951, 951/2, 952, 954, 958, गबा 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु को किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक [Redacted] को 1400 रूपये (अक्षर:- 1338 रजार् चरस) को फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। अगर फसल खड़ी हो तो दो नहीं की जावे।

7/5/18

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

पि:- तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाये नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

7/5